Electricity Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun –248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail -- cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135.2769745, 9755,2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

प्रकीर्ण परिवाद सं0 5/2024

श्री भगवान प्रसाद घिल्डियाल, — परिवादी
निवासी–113ए प्रकाश विहार, धर्मपुर, देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड,(केन्द्रीय)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक : 17.12.2024
श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

प्रस्तुत प्रकीर्ण परिवाद परिवादी द्वारा परिवाद संख्या 124/2023 श्री भगवान प्रसाद घिल्डियाल, नि0 133–ए, प्रकाश विहार, धर्मपुर, देहरादून बनाम अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड, (केन्द्रीय) उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 देहरादून के अन्तर्गत पारित निर्णय दिनांकित 23.03.2024 का विपक्षी द्वारा अनुपालन न किये जाने के संबंध में योजित किया गया है।

मंच द्वारा वाद संख्या 124/2023 में पारित निम्न आदेशानुसार *" मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि बिल चक्र 10/2023 में जोडी गई पुराने मापक की अवशेष रीडिंग 544 को निरस्त करें एवक 10/2023 को प्रेषित विद्युत बिल को आई0डी0एफ0 मानते हुए उक्त विद्युत बिल को निरस्त कर उक्त बिल को तीन बिल चक्रों की औसत खपत 09/2023, 08/2023 एवं 07/2023 क्रमशः (**468+322+355/3=381.66** यूनिट)* अर्थात् 382 यूनिट प्रति बिल चक्र के आधार पर संशोधित करें। इस प्रकार संशोधित विद्युत बिल पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। "का विद्युत विभाग द्वारा शिकायत दर्ज कराने के तिथि दिनांक 06/09/2024 तक भी

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun –248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135.2769745, 9755,2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

अनुपालन नहीं किया गया है। अतः मंच से निवेदन है कि विपक्षी को आदेशित कर पूर्व पारित आदेश दिनांकित 23.03.2024 का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त के सन्दर्भ में विपक्षी द्वारा अपनी आख्या पत्रांक संख्या 2270 दिनाकित 21.10.2024 के द्वारा अवगत कराया गया कि मंच के पारित आदेश दिनांकित 23.03.2024 के अनुपालन में उक्त संयोजन संख्या CD77153115786 पर परिवादी का बिल संशोधन कर रू0 5359.00 का खण्ड कार्यालय से स्वीकति के पश्चात् Consumer Ladzer में समायोजित कर दिया गया है।

मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा मंच के पूर्व आदेश दिनांकित 23.03.2024 का पूर्ण अनुपालन कर दिया गया है, इस परिस्थिति में उक्त वाद को आगे चलाने का कोई औचित्य नही रह जाता है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा मंच के पूर्व आदेश दिनांकित 23.03.2024 का पूर्ण अनुपालन कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। **उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

17.12.2024
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

17.12.20
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCE REDRESSAL FORUM
V.C.V GABBAR SINGH, URJA BHAWAN, KANWALI ROAD
DEHRADUN

Case No. 50/2024

Smt. Bina Sharma **V/s** **Executive Engineer, EDD, (South) D.Dun**

ORDER SHEET

Date- 19.12.2024

निर्णय

पत्रावली दिनांक 05.12.2024 को पेश हुई। परिवादी अनुपस्थित है। विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी उपस्थित है। विपक्षी द्वारा पस्स्तुत आख्या पत्रावाली के पेज संख्या 08–12 तक पत्रावली में शामिल है।

परिवादी की मूल शिकायत है कि विद्युत विभाग द्वारा उन्हें 07 जुलाई 2024 को रू0 12239.00 का उनकी वास्तविक खपत से अधिक का विद्युत बिल प्रेषित किया गया है, पुनः रू0 1804 का विद्युत बिल प्रेषित किया गया जो कि उनके द्वारा इस आशय से जमा कर दिया गया कि उक्त बिल अगले विद्युत बिल में समायोजित हो जायेगा, परन्तु विद्युत विभाग द्वारा उक्त राशि को अगले विद्युत बिल में समायोजित नहीं किया। अतः मंच से निवेदन है कि विद्युत विभाग को उक्त विद्युत बिलों को संशोधित करने हेतु आदेशित करने की कृपा करें।

उपरोक्त के क्रम में विपक्षी द्वारा अपनी आख्या पत्रांक संख्या 603 दिनांकित 05.08.2024 के द्वारा अवगत कराया गया कि सहायक अभियन्ता (मीटर), नगरीय परीक्षणशाला–दक्षिण, देहरादून द्वारा अपने पत्र संख्या 225/न0वि0शा0(द0)/दे0दून दिनांक 31.07.2024 से उन्हें अवगत कराया गया है कि श्रीमती बीना शर्मा, संयोजन संख्या एस0डी0 26112088280 के मापक के सम्बन्ध में सीलिंग प्रमाण पत्र संख्या 20/913 दिनांक 22.07.2024 में पुराना मापक संख्या 563928 की रीडिंग 12317 सत्यापित करते हुए प्रस्तुत की गई है। विपक्षी द्वारा अपनी एक अन्य आख्या के द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा उपरोक्त के क्रम में परिवादी का विद्युत बिल संशोधित कर दिया गया है।

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रहा जाता है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

19.12.2024	19/12/24	19/12/2024
(दीपक फरस्वाण)	(रजनीश माथुर)	(त्रिभुवन सिंह)
उपभोक्ता सदस्य	तकनीकि सदस्य	न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 52/2024

श्री अर्जुन सिंह राणा
निवासी– वार्ड नं0 12, शंकरपुर,
सहसपुर रोड, देहरादून। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (विकासनगर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून। विपक्षी

कोरम दिनांकः 23/12/2024
श्री त्रिभुवन सिंह न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

प्रस्तुत परिवादी द्वारा उनके अन्तिम विद्युत बिल रीडिंग गलत अंकित किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है। परिवादी का कथन है कि मैं अर्जुन सिंह राणा पुत्र स्व0 सुरेश राजा, ग्राम– शंकरपुर, जिसका विद्युत कनेक्शन संख्या VN61603456677 मीटर संख्या 184697 है, जिसकी अंतिम बिल रीडिंग 13754 थी तथा विभाग द्वारा की गई पी0डी0 में विभाग द्वारा रीडिंग 20480 दर्शाया गया है, जिस पर मुझे संदेह है।

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 2990, दिनांकित 03/08/2024 से मंच को अवगत कराया है कि परिवाद सं0 52/2024 श्री अर्जुन सिंह राणा, निवासी– वार्ड नं0–12, शंकरपुर, सहसपुर, देहरादून योजित किया गया है। इस संदर्भ में बिन्दुवार आख्या निम्नलिखित है–

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रे
देहरादून – 24800
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

1. परिवादी का विद्युत संयोजन श्री अर्जुन सिंह राणा पुत्र श्री सुरेश राणा, शंकरपुर, सहसपुर, देहरादून के नाम दिनांक 02.02.2018 को STN 25-SMALL NON –DOMESTIC UPTO 04 KW में निर्गत किया गया है।
2. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में मा0 फोरम को विद्युत संयोजन सं0 VN61603456677 के स्थायी विच्छेदन के पशचात् विद्युत मीटर सं0 184697 में अन्तिम रीडिंग 13754 थी तथा विभाग द्वारा स्थायी विच्छेदन में 20480 रीडिंग दर्शायी गयी है।
3. खण्ड द्वारा परिवादी के स्थायी विच्छेदन की जांच की गयी जिसमें पाया गया कि अवर अभियन्ता द्वारा स्थायी विद्युत विच्छेदन प्रपत्र में विद्युत मीटर की अन्तिम रीडिंग 20480 ही अंकित है(स्थायी विच्छेदन प्रपत्र संलग्न)।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र से स्पष्ट है कि परिवादी की मूल शिकायत स्थाई विच्छेदन में दिखाई गई अन्तिम रीडिंग 20480 के सम्बन्ध में है। परिवादी की शिकायती पत्र के अनुसार जब उनके उपरोक्त विद्युत संयोजन को पी0डी0 किया गया था, तो उस वक्त मीटर में अन्तिम रीडिंग 13754 थी, परन्तु विभाग द्वारा उक्त रीडिंग को पी0डी0 करते समय 20480 कर दिया गया जिस पर परिवादी को आपत्ति है। उक्त के संबंध में मंच द्वारा विपक्षी को आख्या-प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया जिसके क्रम में सुनवाई तिथि 05.08.2024 को अपनी आख्या के माध्यम से अवगत कराया गया कि खण्ड द्वारा परिवादी के स्थायी विच्छेदन की जांच की गयी, जिसमें पाया गया कि अवर अभियन्ता द्वारा स्थायी विद्युत विच्छेदन प्रपत्र में विद्युत मीटर की अन्तिम रीडिंग 20480 ही

अंकित है। उक्त सुनवाई तिथि में परिवादी द्वारा विपक्षी के कथन पर आपत्ति दर्ज करायी गयी जिसको मंच द्वारा स्वीकार करते हुए विपक्षी को निर्देशित किया गया कि स्थाई विच्छेदन हेतु मीटर उतारे जाने संबंधी सीलिंग प्रमाण पत्र मंच में अगली नियत तिथि दिनांक 12.08.2024 तक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। दिनांक 12.08.2024 को विपक्षी द्वारा अवगत कराया गया कि सम्बन्धी अवर अभियन्ता के जिनके कार्यकाल में उपरोक्त विद्युत संयोजन का स्थाई विच्छेदन हुआ था, का स्थानांतरण हो जाने के कारण सुनवाई तिथि 05.08.2024 में दिये गये मंच के निर्देशों के अनुपालन हेतु अतिरिक्त समय की आवश्यकता है, जिसे मंच द्वारा स्वीकार करते हुए वाद में अगली सुनवाई तिथि दिनांक 29.08.2024 नियत की गयी। पुनः विपक्षी द्वारा समय की मांग की गई जिसे मंच द्वारा न्यायहित में स्वीकार करते हुए अन्तिम तिथि 19.09.2024 नियत की गई, दिनांक 19.09.2024 को विपक्षी द्वारा अपनी आख्या पत्रांक 3736, दिनांकित 18.09.2024 से अवगत कराया गया है कि परिवादी के विद्युत संयोजन सं0 VN61603456677 पर स्थापित के विद्युत मीटर सं0 184697 में स्थायी विच्छेदन के समय रीडिंग 20480 रीडिंग थी। तत्पश्चात् उक्त विद्युत मीटर श्रीमती चैती, छरबा, सहसपुर के विद्युत संयोजन सं0 VN21622123093 पर दिनांक 06.07.2022 को स्थापित किया गया था जिसकी प्रारम्भिक रीडिंग 20480 (सीलिंग की प्रति संलग्न) जिससे यह स्पष्ट है कि परिवादी के संयोजन की स्थायी विच्छेदन के समय पायी गयी रीडिंग सही व प्रमाणिक है।

उपरोक्त चर्चा के उपरांत मंच इस मत का है कि विपक्षी द्वारा परिवादी के विद्युत संयोजन का स्थाई विच्छेदन माननीय **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission Notification October 29,2020 UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and**

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

Related Matters) Regulations, 2020 Chapter 6 Disconnection & Reconnection 6.2 के विनियमों के अनुसार नहीं किया गया है, जिस कारण उक्त शिकायत की उत्पत्ति हुई है।

पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री से स्पष्ट है कि दिनांक 18.12.2020 के उपरांत उक्त विद्युत मापक के द्वारा विद्युत का उपभोग नही किया गया है क्योंकि दिनांक 23.01.2024 को 0 यूनिट एम0यू0 के आधार पर विद्युत बिल जारी किया गया एवं पुनः दिनांक 14.02.2024 को 0 यूनिट एम0यू0 के आधार पर विद्युत बिल जारी किया गया जबकि विपक्षी द्वारा अपनी आख्या में कहा गया है कि अवर अभियन्ता द्वारा स्थायी विद्युत विच्छेदन प्रपत्र में विद्युत मीटर की अन्तिम रीडिंग 20400 ही अंकित है।

मंच इस सुनवाई के दौरान विपक्षी से स्थाई विच्छेदन सीलिंग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया तो विपक्षी उक्त सीलिंग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में नाकाम रहा है, परन्तु विपक्षी द्वारा कार्यालय ज्ञाप सं0 1286 दिनांकित 25.06.2022 प्रस्तुत किया गया, जिसमें विच्छेदन तिथि 01.02.2021 दर्शायी गई है एवं स्थाई विच्छेदन तिथि में वर्ष के स्थान पर 2020 को काट कर 2022 दर्शाया गया है, जिसे की मंच स्वीकार नहीं कर सकता है, ऐसी दशा में बिना किसी ठोस तकनीकी आधार के 13754 रीडिंग से बढाकर अन्तिम रीडिंग को 20480 नही माना जा सकता है। अतः इस परिस्थिति में मंच का मत है कि विपक्षी परिवादी को प्रेषित कार्यालय ज्ञाप को निरस्त कर पुनः संशोधित कार्यालय ज्ञाप जारी करें, जिसमें की मीटर की अन्तिम रीडिंग 13754 दर्शायी जाये एवं अवधि 01/2021 दर्शाया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण म
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 2480
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 27619
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767
ई–मेल cgrfgz@gmail.co

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को प्रेषित कार्यालय ज्ञाप को निरस्त कर पुनः संशोधित कार्यालय ज्ञाप जारी करें, जिसमें की मीटर की अन्तिम रीडिंग 13754 यूनिट एवं अवधि 01/2021 दर्शायी जाये। मंच द्वारा विपक्षी को यह भी आदेशित किया जाता है कि मान्नीय **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission Notification October 29,2020 UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020 Chapter 6 Disconnection & Reconnection 6.2** के नियमानुसार कार्यवाही करें। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

23.12.2024
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

23.12.2024
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

देहरादून – 248
दूरभाष: 0135.2769745, 9755,2761
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276
ई–मेल cgrfgz@gmail.c

परिवाद सं0 59/2024

श्री प्रमोद श्रीवास्तव,
नि0 59, अमन विहार,
देहरादून। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड,(दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून । विपक्षी

कोरम
श्री त्रिभुवन सिंह न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण उपभोक्ता सदस्य

दिनांक : 16.12.2024

निर्णय

The Complainant registered the complaint regarding revision of own electricity bills.

The Complainant submits and prays as under:-

Iam a resident of 59 Aman Vihar Niranjanpur and I have received this month's bill amounting 20000 which is quite abnormal. Never has my bill gone to this amount even when two months bill was sent together. Kindlya look into the issue and resolove it at the earliest.Meter no 80303165. Consumer no sd1534711023. Pl do the needful.

उपरोक्त के संबंध में उपखण्ड अधिकारी के अपनी आख्या पत्रांक संख्या 439 दिनांकित 29/08/2024 के द्वारा अवगत कराया गया कि उपभोक्ता श्री प्रमोद श्रीवास्तव, संयोजन संख्या एस0डी0 1/5347/110203

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को दिनांक 25/06/2024 से दिनांक 21/07/2024 अर्थात् 26 दिनों में 5 किलोवाट के स्वीकृत भार पर 2714 यूनिट की खपत दर्शायी गयी है। परिवादी द्वारा इस अवधि में 104.38 यूनिट अथात् 104 यूनिट प्रतिदिन की खपत की गई है। विपूक्षी उक्त विवादित खपत को प्रमाण सहित का प्रस्तुत करने में नाकाम रहा है। 5 किलोवाट के संयोजन पर बिना प्रमाण के दर्शायी गयी प्रतिदिन 104 यूनिट की खपत को मंच स्वीकार नहीं कर सकता है।

पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अनुसार विपक्षी द्वारा परिवादी को प्रत्येक बिल चक्र में मीटर रीडिंग के बिल दिये जाते रहे, जिनका परिवादी नियमित रूप से ससमय भुगतान भी कर रहा है।

विपक्षी द्वारा उपरोक्त विवादित खपत को तकनीकि रूप से साबित करने में विपक्षी नाकाम रहा है, ऐसी दशा में परिवादी को दिनांक 21/07/2024 को प्रेषित विद्युत बीजक निरस्तर कर उक्त विद्युत बीजक पूर्व की तीन बिल चक्रों की औसत खपत 06/2024, 05/2024 एवं 04/2024 क्रमशः (202+909+195/3=435.33 यूनिट अथात् 435 यूनिट) के आधार पर संशोधित होने योग्य है।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को दिनांक 21/07/2024 को प्रेषित विद्युत बीजक निरस्तर कर उक्त विद्युत बीजक पूर्व की तीन बिल चक्रों की औसत खपत 06/2024, 05/2024 एवं

Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun –248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

(गढ़वाल क्षे
गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 2480
दूरभाष: 0135.2769745, 9755,276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.co

04/2024 क्रमशः (202+909+195/3=435.33 यूनिट अथात् 435 यूनिट) के आधार पर संशोधित करें, इस प्रकार संशोधित बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। मंच द्वारा विपक्षी को यह भी आदेशित किया जाता है कि परिवादी के परिसर पर स्थापित विवादित मापक को अविलंब परिवर्तित कराना सुनिश्चित करें ताकि भविष्य में पुनः विद्युत मापक की खराबी के कारण इस प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो सके। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

16.12.2024

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

16.12.2024

(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 67 / 2024

श्रीमती चित्रा गुप्ता पुत्री स्व0 बाला देवी गुप्ता
निवासी– 19, आनन्द चौक, देहरादून। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (केन्द्रीय)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून। विपक्षी

कोरम दिनांक: 23/12/2024
श्री त्रिभुवन सिंह न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

प्रस्तुत परिवादी द्वारा उनके अत्यधिक विद्युत बिल आने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का निम्नवत् कथन इस प्रकार से है:–

1. यह कि परिवादिनी की माता स्व0 बाला देवी गुप्ता के नाम 5 KW विद्युत संयोजन सं0 CD72117008366 पर मापक संख्या मापक 219251, ABB कम्पनी का स्थापित था।
2. यह कि परिवादिनी प्रत्येक माह खपत के अनुसार अपने बीजक का भुगतान समय पर करती चली आ रही है।
3. यह कि परिवादिनी दिनांक 16.07.2024 को 2928 यूनिट का 21,718–/ रू0 का विद्युत बीजक प्राप्त हुआ।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

4. यह कि उक्त विद्युत बीजक परिवादिनी के द्वारा प्रत्येक माह उपभोग की जा रही खपत से काफी अधिक होने के कारण परिवादिनी ने जब अपने विद्युत मापक को देखा तो उसमें रीडिंग कटी हुई आ रही थी जिसे सही प्रकार से देखना संभव नहीं था।

5. यह कि परिवादिनी ने अपने उक्त खराब मापक की शिकायत ऊर्जा निगम के टोल फ्री नं0 1912 पर दिनांक 19.07.2024 को करी जिसका शिकायत नं0 21907240791 है।

6. यह कि उक्त शिकायत के आधार पर विद्युत परीक्षण शाला (केन्द्रीय) , देहरादून के कार्मिक द्वारा दिनांक 31.07.2024 को उक्त खराब मापक बदलकर नया मापक नंबर 09574907 AVON कम्पनी स्थापित कर दिया गया।

7. यह कि उक्त खराब मापक संख्या 21251 में रीडिंग कटी होने के कारण दिनांक 16.07.2024 को मीटर बदलते समय संबंधित कार्मिक द्वारा परिवादिनी को बताई गई।

8. यह कि दिनांक 16.08.2024 को परिवादिनी को 861 यूनिट का विद्युत बीजक प्राप्त हुआ जो कि पुराने मापक सं0 09574907 की 245 यूनिट खपत को मिलाकर दिया गया।

9. यह कि दिनांक 16.08.2024 को प्राप्त वर्तमान बीजक के अनुसार दिनांक 31.07.2024 से दिनांक 16.08.2024 तक नए मापक की 245 यूनिट से भी इस बात की पुष्टि होती है कि 17 दिन की खपत 245 यूनिट है तो 30 दिन की खपत 500 यूनिट के भीतर ही होगी जो कि परिवादिनी के बिलिंग इतिहास को देखकर भी भली भांति पता चलती है।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

10. यह कि उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर परिवादिनी के वर्तमान बीजक को संशोधित करने हेतु विपक्षीगणों को आदेशित करने की कृपा करें ताकि परिवादिनी को आर्थिक हानि न होने पाये।

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 384, दिनांकित 05/09/2024 से मंच को अवगत कराया है कि परिवाद सं0 67/2024 श्रीमती चित्रा गुप्ता की आख्या निम्नवत् है:–

1. उपभोक्ता का विद्युत संयोजन सं0 CD72117008366 पर पूर्व में मीटर संख्या E72951 स्थापित था।
2. उपभोक्ता का माह जुलाई का विद्युत बिल मीटर रीडिंग 93680 के आधार पर बनाया गया है, जो की सही है। रीडिंग की फोटो संलग्न है।
3. उपभोक्ता द्वारा 19.07.2024 को मीटर खराब होने की शिकायत संख्या 21907240791 ऑनलाईन दर्ज करवायी गयी।
4. मीटर की रीडिंग के कुछ अंक स्पष्ट नहीं आने पर मीटर संख्या दिनांक 31.07.2024 को बदला गया।
5. माह अगस्त का बिल दिनांक 16.08.2024 को पुराने मीटर की आई0डी0ए0 यूनिट (616यूनिट) तथा नये मीटर की रीडिंग (245 यूनिट0189) के आधार पर कुल 861 यूनिट का बनाया गया।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध परिवादिनी के शिकायती पत्र से स्पष्ट है कि उनके द्वारा प्रत्येक माह अपने खपत के अनुसार अपने विद्युत बिलों का भुगतान किया जा रहा था परन्तु दिनांक 16.07.2024 को 2928 यूनिट का 21718.00 रू0 का विद्युत बिल प्रेषित किया गया है जिस पर उन्हें आपत्ति है क्योंकि यह बिल उनकी वास्तविक विद्युत खपत से कई गुना अधिक का विद्युत बिल है। इस संबंध में जब उनके द्वारा विद्युत विभाग से शिकायत की गई तो विद्युत

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

विभाग द्वारा उक्त मीटर को बदलकर नया विद्युत मापक स्थापित किया गया। नया विद्युत मापक सं0 09574907 AVON कंपनी का स्थापित किया गया। मंच द्वारा परिवादिनी के शिकायत पत्र के संबंध में विपक्षी से स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया तो विपक्षी द्वारा मंच को अवगत कराया गया कि उपभोक्ता द्वारा 19.07.24 को मीटर खराब होने की शिकायत सं0 21907240791 ऑनलाईन दर्ज करायी गई थी। उक्त मीटर में कुछ अंक स्पष्ट नही आने पर उक्त मीटर दिनांक 31.07.2024 को बदला गया उपरोक्त के कम में विपक्षी द्वारा मंच के निर्देश दिनांकित 09.09.2024 के अनुपालनार्थ अवगत कराया गया कि उपभोक्ता के पुराने मीटर सं0 279251 की एम0आर0आई नही हो पायी है और न ही मीटर टेस्ट लैब में चैक हो पाया है।

मंच द्वारा परिवादिनी की हिस्ट्री का अवलोकन किया गया एवं पाया गया कि विवादित बिल चक्र 07/2024 से पूर्व न तो परिवादिनी की खपत रही है न ही विवादित बिल चक के बाद। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री से यह भी स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परविादिनी को दिनांक 16.06.2024 से 31.07.2024 अर्थात् 45 दिनों में 5 कि0वा0 के स्वीकृत भार पर (2928+616= 3544) यूनिट की खपत दर्शायी गई है। विपक्षी के अनुसार परिवादिनी द्वारा उपरोक्त अवधि में प्रतिदिन 78.75 यूनिट की विद्युत खपत की गयी है, विपक्षी द्वारा उक्त विवादित खपत का कोई भी प्रमाण तथा एम0आर0आई0 आदि प्रस्तुत करने में नाकाम रहा है। 05 कि0वा0 के विद्युत संयोजन पर बिना प्रमाण के दर्शायी गयी प्रतिदिन 78.75 यूनिट की विद्युत खपत को मंच स्वीकार नही कर सकता है ऐसी दशा में परिवादिनी को प्रेषित विद्युत बिल दिनांकित 16.07.2024 एवं 18. 085.2024 (पुराने विद्युत मापक के अनुसार) प्रेषित विद्युत बीजको को निरस्त कर उक्त विद्युत बीजकों को

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

पूर्व की तीन विद्युत बिल चक्रों (06/204, 05/2024, 04/2024) की औसत खपत (326+444+444 /3=4064.66) अर्थात् 405 यूनिट प्रति बिल चक्र के आधार पर संशोधित होने योग्य है।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादिनी को प्रेषित विद्युत बिल दिनांकित 16.07.2024 एवं 18.085.2024 (पुराने विद्युत मापक के अनुसार) प्रेषित विद्युत बीजकों को निरस्त कर उक्त विद्युत बीजकों को पूर्व की तीन विद्युत बिल चक्रों (06/204, 05/2024, 04/2024) की औसत खपत (326+444+444 /3=4064.66) अर्थात् 405 यूनिट प्रति बिल चक्र के आधार पर संशोधित करें। इस प्रकार के संशोधित विद्युत बीजकों पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

23.12.2024
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

23.12.2024
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCE REDRESSAL FORUM
V.C.V GABBAR SINGH, URJA BHAWAN, KANWALI ROAD
DEHRADUN

Case No. 71/2024

Smt. Syuzanna Ansari V/s **Executive Engineer, EDD, (Central) D.Dun**

ORDER SHEET

Date- 19.12.2024

निर्णय

पत्रावली दिनांक 28.11.2024 को पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित है। विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी उपस्थित है। विपक्षी द्वारा परस्तुत आख्या पत्रावाली के पेज संख्या 64–74 तक पत्रावली में शामिल है।

परिवादी की मूल शिंकायत है कि उनके द्वारा दिनांक 25.08.2024 को नये विद्युत संयोजन हेतु आवेदन किया गया था, परन्तु विभाग द्वारा शिकायत दर्ज कराये जाने की तिथि तक भी उक्त संयोजन अवमुक्त नहीं किया गया है।

उपरोक्त के क्रम में विपक्षी द्वारा अपनी आख्या पत्रांक संख्या 461 दिनांकित 11.09.2024 के द्वारा अवगत कराया गया कि उपभोक्ता द्वारा चाहे गये फ्लैट सं0 311, प्रथम तल, रेसकोर्स में वर्तमान में संयोजन संख्या CD77515222132 चल रहा है, जिस कारण इस फ्लैट सं0 311 मे दूसरा नया संयोजन नहीं दिया जा सकता है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध विपक्षी की आख्या से स्पष्ट है कि फ्लैट सं0 311, प्रथम तल, रेसकोर्स में वर्तमान में संयोजन संख्या CD77515222132 चल रहा है तथा तकनीकि आधार पर एक समय में एक से ज्यादा संयोजन अवमुक्त नहीं किया जा सकता है, ऐसी परिस्थिति में उक्त वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः वाद खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

उपरोक्त परिस्थितियों उपरान्त उक्त वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। करेंगे। *इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों भीतर विद्युत औम्बड़समैन 80, बसंन्त विहार, देहरादून से अपील कर सकते हैं।* प्र पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

19.12.2024

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

19.12.2024
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 75/2024

श्रीमती ऊषा रानी जैन, पत्नी श्री रविन्द्र जैन
निवासी– 726, इंदरा नगर कालोनी,
देहरादून। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून। — विपक्षी

कोरम — दिनांकः 30/12/.2024
श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

The complaint registered the complaint regarding refund of cost of defective meter charged.

The Complaint submits and praysas under:-

1- The Eletric power meter is installed outside our house.

2- The power supply to our house was erupted on 25-06-2023 night due to rains

3- On 26-06-2023, in the afternoon, the Department contractor repaired the fused/burnt wire at the nearby pole & restored the power supply. A complaint was launched of no display in the meter through him only at the same time.

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

4- On 21-07-2023, AE Vasant Vihar sent a SMS as under:-

Dear Consumer, complaint for Replacement of Defective meter has been successfully registered with complaint no. 22606230760, UPCL.

5- On 06-08-2023, the meter was changed with another meter showing initial reading as 00 which was wrong, it was actually 651. After 2 visit to 18 EC office it was corrected.

6- On 30-11-2023, got a bill for 10349/- including Rs. 2223.12, as the cost of burnt meter.

7- Approached Vasant Vihar/EC office, but all in vain. Once I met Mrs Suchita of EC office, who in a a very bad tone, abruptly that the meter was burnt, & you have to pay the cost of the meter, she was not listening to me at all.

8- Ultimately I paid the bill of Rs. 10349/- on 13-12-2023. As I was afraid of disconnection.

9- After my return from abroad, I met on dated 31-08-2024 shri pravesh kumar, Executive Engineer at EC road office that the meter was installed outside my, house & I should not be penalized. When I spoke him that there is some notification that tge consumers are not responsible for the outside meters, he was showing me that for the outside meters, the department is responsible only for theft or accidental damage to the meters.

10-Kindly look into the matter & instruct the department to refund the cost of the damaged meter.

11- We the senior citizens 80+ are always paying bills regularly, & is very painfull for me to fool around this or that office.

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 822, दिनांकित 03/10/2024 से मंच को अवगत कराया है कि श्रीमती ऊषा जैन, निवासी–726, इन्द्रानगर कालोनी देहरादून, (विद्युत संयोजन संख्या SD76313064829) के वाद संख्या 75/2024 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उपभोक्ता की शिकायत में जले हुए मीटर की धनराशि के सम्बन्ध में कहा गया है। चूंकि उपभोक्ता द्वारा उनके विद्युत बिल में जले हुए मीटर की धनराशि जोडने की शिकायत की गयी है, अतः इस कार्यालय के पत्रांक संख्या 772/वि0वि0उ0ख0 बसंत विहार/मीटर दिनांक 21.09.2024 के संदर्भ में सहायक अभियन्ता मीटर ने अपनें कार्यालय के पत्रांक 292/न0वि0परी0शा0(दखिण)/देहरादून दिनांक 28.09.2024 से अपनी आख्या प्रेषित की है, जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के परिसर पर स्थापित मापक को चैक करने पर मापक Internally Burnt पाया गया जो कि प्रायः उपभोक्ता के लोड की अधिकता के कारण ही होता है और विद्युत मापक संख्या 336174 को नये मापक द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। अतः उपभोकता के पुराने मापक प्रथम दृष्टया burnt पाये जाने के कारण नियमानुसार उक्त संयोजन पर थ्री फेज जले मापक की धनराशि अधिरोपित की गयी है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी की मूल शिकायत विद्युत विभाग द्वारा रू0 2223.12 जले हुये मीटर की ली गई राशि को वापस करने के संबंध में प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त शिकायत के कम में मंच द्वारा विपक्षी को मापक Internally Burnt हेाने का कारण तथ्य सहित प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया, जिसके कम में विपक्षी द्वारा अपनी आख्या के माध्यम से

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

मंच को अवगत कराया गया कि प्रायः उपभोक्ता के लोड की अधिकता के कारण ही मापक Internally Burnt होता है। विपक्षी की आख्या से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा ही बिना तथ्यों के अनुमान के आधार पर ही यह कहा जा रहा है कि परिवादी द्वारा स्वीकृत भार से अधिक विद्युत का उपयोग होने के कारण परिवादी का मीटर जला है, जिस कारण नियम अनुसार उक्त संयोजन पर 03 फेज मापक की धनराशि आरोपित की गयी है।

मंच द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया । पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि परिवादी का विद्युत मापक लोड के अधिकता के कारण जला है। अतः इस परिस्थिति में परिवादी कहीं भी दोषी नही है। मीटर के रखरखाव की पूर्ण जिम्मेदारी विपक्षी की बनती है, ऐसी दशा में परिवादी से विद्युत मापक की की धनराशि रू0 2223.12 लिया जाना न्यायोचित एवं तर्कसंगत नहीं है।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को प्रेषित विद्युत बीजक जिसमें जले हुये मीटर की धनराशि रू0 2223.12 जोडी गयी राशि को निरस्त कर संशोधित बिल जारी करें। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।**

30.12.2024

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

30.12.2025

(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun –248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण म
(गढ़वाल क्षे
गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली र
देहरादून – 2480(
दूरभाषः 0135.2769745, 9755,27619
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.con

परिवाद सं0 84/2024

श्री मुन्ना सिंह (वन संरक्षक)
निवासी – 05/18 तिलक रोड,
राजकीय आवास संख्या 27/ II, देहरादून। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (केन्द्रीय)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून। — विपक्षी

कोरम — दिनांक : 17.12.2024
श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

प्रस्तुत परिवाद परिवादी द्वारा विद्युत बिल को संशोधित कराये जाने के संबंध में योजित किया गया है।

परिवादी द्वारा अपनी शिकायत के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रार्थी को सरकारी आवास 05/18 तिलक् रोड़ आवंटित हुआ है, जिसपर पूर्व में विद्युत संयोजन लगा हुआ था, परन्तु मीटर खराब होने के कारण संबंधित अवधि का बिल अत्याधिक अंकित किया गया है, जबकि यह आवास उक्त अवधि में उपयोग में न होने के कारण बंद था।

चूंकि प्रार्थी को उक्त आवास आवंटित किया गया है, परन्तु वर्तमान तक भी विद्युत आपूर्ति नहीं की जा रही है, क्योकिं पूर्व रिक्त अवधि का विद्युत बिल का भुगतान नहीं किया गया है। यह भी अवगत कराना है कि प्रार्थी का पुत्र कक्षा 12 का छात्र है, परन्तु विद्युत आपूर्ति न होने कारणवश उसकी पढ़ाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड रहा है।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun –248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135.2769745, 9755,2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

अतः प्रार्थी का करबद्ध निवेदन है कि उक्त आवास में शीघ्र विद्युत आपूर्ति करने हेतु पूर्व अवधि के विद्युत बिल को सही करवाने का कष्ट करें।

उपरोक्त के क्रम में विपक्षी द्वारा उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपनी आख्या पत्रांक संख्या 422 दिनांक 10/10/2024 द्वारा निम्नवत् अवगत कराया गया कि:–

1. उपभोक्ता का विद्युत संयोजन संख्या CD22118092466 वन विभाग की आवासीय कॉलोनी में दिनांक 28.08.1992 को निर्गत किया गया था।
2. उपरोक्त विद्युत संयोजन पर बकाया होने के कारण दिनांक 11.12.2021 को अस्थाई रूप से विच्छेदित किया गया था।
3. विद्युत बकाया जमा न होने के कारण विद्युत संयोजन दिनांक 28.12.2022 को स्थाई रूप से विच्छेदित कर दिया गया था। विच्छेदन रिर्पोट की प्रतिलिपि संलग्न है।
4. आर0ए0पी0डी0आर0पी0 सिस्टम द्वारा दिनांक 05.06.2024 को उपभोक्ता का अंतिम बिल रू0 36914.00 की धनराशि का बनाया गया।
5. उपरोक्त विद्युत संयोजन का पुनरिक्षित अंतिम बिल रू0 12596.00 का बना है। पी0डी0 ओ0एम0 सं0 2724 दिनांक 09.10.2024 की प्रतिलिपि संलग्न है।

मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र के क्रम में विपक्षी ने अपनी आख्या के माध्य से मंच को अवगत कराया है कि विद्युत संयोजन संख्या CD22118092466 बकाया होने के कारण दिनांक 11.12.2021 को अस्थाई रूप से विच्छेदित किया गया था, उक्त विद्युत बकाया जमा न होने के कारण विद्युत संयोजन दिनांक 28.12.2022 को स्थाई रूप से विच्छेदित कर दिया गया था,

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun –248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135.2769745, 9755,2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

आर0ए0पी0डी0आर0पी0 सिस्टम द्वारा दिनांक 05.06.2024 को उपभोक्ता का अंतिम बिल रू0 36914.00 की धनराशि का बनाया गया, उक्त विद्युत बिल को पुनरिक्षित करनते हुए पी0डी0 ओ0एम0 सं0 2724 दिनांक 09.10. 2024 के द्वारा अंतिम बिल रू0 12596.00 का बना है।

उपरोक्त चर्चा उपरान्त मंच इस मत का है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की बिल संशोधित संबंधी शिकायत का निवारण बिल संशोधित कर कर दिया गया, जहॉ तक परिवादी द्वारा अपने शिकायती पत्र में उक्त आवास में शीघ्र विद्युत आपूर्ति करने हेतु प्रार्थना की गई है के संदर्भ में मंच का मत कि परिवादी पूर्व अंतिम विद्युत बिल को जमा करवाकर नये विद्युत संयोजन हेतु नियामानुसार आवेदन कर सकता है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों में उक्त वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है एवं परिवादी को आदेशित किया जाता है कि अंतिम विद्युत बिल को जमा करवाकर नये विद्युत संयोजन हेतु नियामानुसार आवेदन करें एवं विपक्षी परिवादी के आवेदन पर नियामानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करे। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। *इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत औम्बड़समैन, 80, बसंन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।* पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

17.12.2024

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

17.12.20

(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCE REDRESSAL FORUM
V.C.V GABBAR SINGH, URJA BHAWAN, KANWALI ROAD
DEHRADUN

Case No. 91/2024

Shri. Bhagwan Singh **V/s** **Executive Engineer, EDD, Doiwala**

ORDER SHEET

Date- 19.12.2024

निर्णय

पत्रावली दिनांक 05.12.2024 को पेश हुई। परिवादी अनुपस्थित है। विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी उपस्थित है। विपक्षी द्वारा पस्स्तुत आख्या पत्रावाली के पेज संख्या 17–19 तक पत्रावली में शामिल है।

परिवादी की मूल शिकायत है कि विद्युत विभाग द्वारा उन्हें माह मार्च में जो विद्युत बिल प्रेषित किया गया वह उनकी वास्तविक विद्युत खपत से अधिक धनराशि का है। अतः मंच से निवेदन है कि विद्युत विभाग को उक्त विद्युत बिल को संशोधित करने हेतु आदेशित करने की कृपा करें।

उपरोक्त के क्रम में विपक्षी द्वारा अपनी आख्या पत्रांक संख्या शून्य दिनांकित 05.12.2024 के द्वारा अवगत कराया गया कि उपभोक्ता द्वारा बिल संशोधन के संबंध में शिकायत की गई थी , जिसमें मीटर रीडर द्वारा गलत रींडिग डाल दी गयी थी, उपभोक्ता की सहीं रीडिंग लेकर बिल संशोधन कर दिया गया है।

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रहा जाता है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

19.12.2024

(दीपक फरस्वाण)	(रजनीश माथुर) 19/12/24	(त्रिभुवन सिंह) 19/12/2024
उपभोक्ता सदस्य	तकनीकि सदस्य	न्यायिक सदस्य

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCE REDRESSAL FORUM
V.C.V GABBAR SINGH, URJA BHAWAN, KANWALI ROAD
DEHRADUN

Case No. 96/2024

Shri. Rajeev Kumar **V/s** **Executive Engineer, EDD, South D.Dun**

ORDER SHEET

Date- 19.12.2024

निर्णय

पत्रावली दिनांक 05.12.2024 को पेश हुई। परिवादी उपस्थित है। विपक्षी अनुपस्थित है। विपक्षी द्वारा सुनवाई से पूर्व ही वाद निस्तारण के संबंध में आख्या प्रस्तुत की गई।

परिवादी की मूल शिकायत है कि उनके द्वारा दिनांक 02.09.2024 को 1912 में मीटर खराब होने संबंधी शिकायत दर्ज कराई थी एवं उनके विद्युत बिल में आई0डी0एफ0 लिखा आ रहा है। अतः मंच से निवेदन है कि विद्युत विभाग को उक्त विद्युत मापक बदले जाने हेतु आदेशित करने की कृपा करें।

उपरोक्त के क्रम में विपक्षी द्वारा अपनी आख्या पत्रांक संख्या 982 दिनांकित 04.11.2024 के द्वारा अवगत कराया गया कि उपभोक्ता का पुराना मीटर खराब पाये जाने के कारण दिनांक 29.10.2024 को बदल दिया गया है एवं मीटर बदलने का सीलिंग प्रमाण पत्र दिनांक 04.11.2024 को सिस्टम में फीड कर दिया है।

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने एवं परिवादी द्वारा भी विपक्षी द्वारा की गई कार्यवाही पर अपनी लिखित संतुष्टि सुनवाई के दौरान व्यक्त किये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने एवं परिवादी द्वारा भी अपनी लिखित संतुष्टि सुनवाई के दौरान व्यक्त किये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

19.12.2024

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

19/12/24

(रजनीश माथुर)
तकनीकि सदस्य

19/12/2024

(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCE REDRESSAL FORUM
V.C.V GABBAR SINGH, URJA BHAWAN, KANWALI ROAD
DEHRADUN

Case No. 97/2024

Smt. Rakhi Devi **V/s** **Executive Engineer, EDD, Mohanpur**

ORDER SHEET

Date- 19.12.2024

निर्णय

पत्रावली दिनांक 05.12.2024 को पेश हुई। उभय पक्ष अनुपस्थित है। विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी द्वारा सुनवाई से पूर्व ही वाद निस्तारण के संबंध में आख्या प्रस्तुत की जा चुकी है जो पत्रावली के पेज संख्या 05 में पत्रावली में उपस्थित है। परिवादी की मूल शिकायत है उनके द्वारा दिनांक 27.09.2024 को कनैक्शन लगाने हेतु सब डिवीजन कार्यालय, सेलाकुई में श्रीमती राखी देवी के नाम से फाईल जमा करवाई गई थी, परन्तु शिकायत पंजीकृत कराये जाने तक की तिथि तक भी उन्हें विद्युत संयोजन अवमुक्त नहीं किया गया है। अतः मंच से निवेदन है कि विद्युत विभाग को उक्त विद्युत संयोजन अवमुक्त करने हेतु आदेशित करने की कृपा करें।

उपरोक्त के क्रम में विपक्षी द्वारा अपनी आख्या पत्रांक संख्या 1262 दिनांकित 29.10.2024 के द्वारा अवगत कराया गया कि उपभोक्ता के नये विद्युत संयोजन हेतु प्राप्त आवेदन के सापेक्ष जमा की गयी धनराशि रू0 2200.00 दिनांक 26.10.2024 के अनुक्रम में उपभोक्ता का विद्युत संयोजन नजदीकी विद्युत पोल से संयोजित कर विद्युत आपूर्ति संचालित कर दी गयी है। विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने एंव परिवादी द्वारा भी विपक्षी द्वारा की गई कार्यवाही पर अपनी लिखित संतुष्टि व्यक्त किये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने एवं परिवादी द्वारा भी अपनी लिखित संतुष्टि पत्र के माध्यम से प्रेषित किये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय / प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

19.12.2024 — 19.12.24 — 19/12/2024

(दीपक फरस्वाण)	(रजनीश माथुर)	(त्रिभुवन सिंह)
उपभोक्ता सदस्य	तकनीकि सदस्य	न्यायिक सदस्य

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCE REDRESSAL FORUM
V.C.V GABBAR SINGH, URJA BHAWAN, KANWALI ROAD
DEHRADUN

Case No. 111/2024

M/S Mahalaxmi Buildwell Int. Pvt. Ltd V/s Executive Engineer, EDD, Raipur

ORDER SHEET

Date- 26.12.2024

निर्णय

पत्रावली दिनांक 26.12.2024 को पेश हुई। उभय पक्ष अनुपस्थित है। विपक्षी द्वारा सुनवाई से पूर्व ही आख्या प्रस्तुत की जा चुकी है, पत्रावली के पेज संख्या 6–11 तक पत्रावली में शामिल है।

परिवादी की मूल शिकायत है कि उनकी कॉलोनी में काफी समय से विद्युत की लो वोल्टेज की समस्या बनी हुई हैं, तथा वोल्टेज की उतार–चढाव की समस्या भी है, जिस कारण अनके आवासों में विद्युत उपकरण खराब हो रहे है, जिस बारे में विद्युत विभाग को काफी बार अवगत कराया गया है लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया है। अतः मंच से निवेदन है कि उक्त समस्या का समाधान कराने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

उपरोक्त के क्रम में विपक्षी द्वारा अपनी आख्या पत्रांक संख्या 1117 दिनांकित 13.12.2024 के द्वारा अवगत कराया गया कि संबंधित उपभोक्ता की समस्या का समाधान किया जा चुका है। इस संबंध में उपभोक्ता द्वारा भी अपना प्रत्यावेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया गया है, जिसकी छायाप्रति पत्र के साथ संलग्न है।

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने एवं परिवादी द्वारा भी विपक्षी द्वारा की गई कार्यवाही पर अपनी लिखित संतुष्टि व्यक्त किये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने एवं परिवादी द्वारा भी अपनी लिखित संतुष्टि व्यक्त किये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे

पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

26.12.2024	26/12/24	26.12.202
(दीपक फरस्वाण)	(रजनीश माथुर)	(त्रिभुवन सिंह)
उपभोक्ता सदस्य	तकनीकि सदस्य	न्यायिक सदस्य

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCE REDRESSAL FORUM
V.C.V GABBAR SINGH, URJA BHAWAN, KANWALI ROAD
DEHRADUN

Case No. 115/2024

Shri. Balveer Singh Panwar **V/s** **Executive Engineer, EDD, Rishikesh**

ORDER SHEET

Date- 26.12.2024

निर्णय

पत्रावली दिनांक 26.12.2024 को पेश हुई। उभय पक्ष अनुपस्थित है। विपक्षी द्वारा सुनवाई से पूर्व ही आख्या प्रस्तुत की ज चुकी है, पत्रावली के पेज संख्या 6–11 तक पत्रावली में शामिल है।

परिवादी की मूल शिकायत है कि उनके द्वारा अपने खेरीकला गली नं0 13, निर्मल अस्पताल के पीछे स्थित भवन में विद्युत क उपभोग नहीं किया जाता है, परन्तु उनका विद्युत बिल माह अक्टूबर से माह नवम्बर तक 19,547/– रूपया आया है। अत मंच निवेदन है कि उक्त बिल को संशोधित करने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

उपरोक्त के क्रम में विपक्षी द्वारा अपनी आख्या पत्रांक संख्या 1184 दिनांकित 07.12.2024 के द्वारा अवगत कराया गया कि शिकायतकर्ता के विद्युत संयोजन संख्या RK22223852943 का विद्युत बिल इस कार्यालय द्वारा Normative Consumption के आधार पर संशोधित कर दिया गया है। शिकायतकर्ता के विद्युत बिल की धनराशि 19150.00 रू0 में से 11676.00 रू0/सी0सी0बी0आर0 के माध्यम से कम कर दिया गया है। अब शिकायतकर्ता के विद्युत बिल धनराशि केवल 7474.00 रू0 रह गयी है।

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने एवं परिवादी द्वारा भी विपक्षी द्वारा की गई कार्यवाही पर अपनी लिखित संतुष्टि व्यक्त किये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने एवं परिवादी द्वारा भी अपनी लिखित संतुष्टि व्यक्त किये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे

पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

26.12.2024
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

26/12/24
(रजनीश माथुर)
तकनीकि सदस्य

26.12.2024
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCE REDRESSAL FORUM
V.C.V GABBAR SINGH, URJA BHAWAN, KANWALI ROAD
DEHRADUN

Case No. 123/2024

Shri. Devendra Singh Negi **V/s** **Executive Engineer, EDD, Mohanpur**

ORDER SHEET

Date- 26.12.2024

निर्णय

पत्रावली दिनांक 26.12.2024 को पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित है। विपक्षी द्वारा सुनवाई के दौरान आख्या प्रस्तुत की गई जो पत्रावली के पेज संख्या 16 में पत्रावली में शामिल है।

परिवादी की मूल शिकायत है कि उनके विद्युत खाता संख्या 40231329120 का मार्च माह से बिल अनियमित अधिकतम मॉग 55.30 किलोवाट दर्शाया गया है, जबकि कुल उपभोग की गई यूनिट मात्र 124 है, पुनः अप्रैल में उपभोग की गई यूनिट मात्र 314 थी एव बिल 14363/– था। परिवादी द्वारा उक्त बिलों के क्रम में रू0 15000.00 विपक्षी के इस आश्वासन पर जमा करे है कि विद्युत मापक की एम0आर0आई0 करके बिल का संशोधन कर दिया जायेगा परन्तु विपक्षी द्वारा इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अतः मंच निवेदन है कि उक्त बिलों को संशोधित करने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

उपरोक्त के क्रम में विपक्षी द्वारा अपनी आख्या पत्रांक संख्या 836 दिनांकित 11.12.2024 के द्वारा निम्नवत् अवगत कराया गया है कि:–

1. उपभोक्ता के माह अप्रैल 2024 व माह मई 2024 के विद्युत बिल के सापेक्ष मौक्सिमम डिमांड 55.35किलोवाट प्रदर्शित हो रही थी जिसके कारण उपभोक्ता का विद्युत बिल अधिक आया है डिमांड की पुष्टि हेतु मीटर का छायापचित्र संलग्न है।
2. उपभोक्ता के अनुरोध पर मीटर की एम0आर0आई0 करने का भी प्रयास किया गया परंतु मीटर में डिस्प्ले प्रदर्शित न होने के कारण एम0आर0आई0 नहीं हो पाई।

विपक्षी द्वारा सुनवाई तिथि दिनांक 26.12.2024 को संशोधित बिल की प्रति प्रस्तुत की गई, जिसे मंच द्वारा परिवादी को हस्तगत कराया गया, परिवादी द्वारा उक्त संशोधित विद्युत बीजक पर अपनी लिखित संतुष्टि व्यक्त की गई।

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने एवं परिवादी द्वारा भी विपक्षी द्वारा की गई कार्यवाही पर अपनी लिखित संतुष्टि व्यक्त किये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने एवं परिवादी द्वारा भी अपनी लिखित संतुष्टि व्यक्त किये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

26.12.24
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

26/12/24
(रजनीश माथुर)
तकनीकि सदस्य

26.12.2024
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य